राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1867/2022

विनोद कुमार भारद्वाज

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, जी–3, राजमहल पैलेस, रेजिडेंसियल, एरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.01.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी का अपील में कथन है कि अपीलार्थी फायर मैन के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण कोटा दक्षिण, श्रीनाथपुरम, फायर स्टेशन से धौलपुर में किया गया है। उसका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिबन्ध के दौरान किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आज्ञा दिनांक 30.05.2022 (अनुलग्नक–3) की ओर आकृष्ट किया, जिसके द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु प्रतिबन्ध में छूट प्रदान की गयी। उक्त आज्ञा दिनांक 30.05.2022 के आधार पर स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध दिनांक 30.05.2022 को समाप्त हुआ है, परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2022 के द्वारा प्रतिबन्ध के पूर्व ही किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रतिबन्ध के दौरान स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.

04.2022 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
4. वर्तमान में दिनांक 30.05.2022 की आज्ञा के द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध में छूट प्रदान की हुई है। प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि पूर्व में पारित आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.04.2022 की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है, ऐसे में आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2022 प्रभाव में ही नहीं लाया गया है। वर्तमान में चूंकि स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है।
5. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं होने से उसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही खारिज किया जाता है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R